

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र के संबंध में प्रमाण पत्र

जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत मे० हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट-सोनभद्र को रेनुसागर से हिण्डालको प्लांट तक तक 132 के०वी० विद्युत पारिषण लाईन के निर्माण हेतु 38.2591 हे० वन भूमि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या-8-10-94/एफ०सी० दिनांक- 14.10.1996 एवं उ०प्र० शासन के आदेश संख्या- 6619/14-2-97-145(233)/94 दिनांक- 22 मई 1998 द्वारा 25 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी ।

उक्त लीज की अवधि दिनांक- 08.02.2016 को समाप्त होने के उपरान्त मे० हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट द्वारा उक्त वन भूमि हस्तान्तरण के नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण में प्रभावित 38.2591 हे० वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि $38.2591 \text{ हे०} \times 2 = 76.5182$ या 80.00 हे० पर निम्न प्रकार क्षतिपूरक वनीकरण हेतु क्षेत्र का चयन किया गया है :-

क्र०सं०	रेंज का नाम	चयनित क्षेत्र	क्षेत्रफल हे० मे०
1	2	3	4
1	अनपरा	खजुरा कम्पार्टमेन्ट नम्बर 05	10.00
2	अनपरा	लोझरा कम्पार्टमेन्ट नम्बर 05	20.00
3	अनपरा	लोझरा कम्पार्टमेन्ट नम्बर 06	20.00
4	अनपरा	वियहवा कम्पार्टमेन्ट नम्बर 08	20.00
5	अनपरा	वियहवा कम्पार्टमेन्ट नम्बर 07	10.00
योग-			80.00

क्षेत्रिय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग
रेनुकूट - सोनभद्र